संख्या- 160 / 2016/ 354 /चार-2016-34(बजट)/2014

प्रेषक,

डा0 हरिओम ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय ,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 20 अक्टूबर ,2016

विषय:-जनपद लखनऊ में लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी के वीथिकाओं के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी के वीथिकाओं के निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 02 अगस्त, 2016 द्वारा 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उपरोक्त निर्माण कार्य करने के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में अधिकृत किया गया है। उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 2372.00 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए कार्य की लागत रू0 2227.19 लाख मूल्यांकित की गयी है । अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद लखनऊ में लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी की वीथिकाओं के निर्माण हेतु धनराशि रू0 2227.19 लाख की प्रशासकीय तथा प्रथम चरण में धनराशि रू0 138.83 लाख (रूपये एक करोड अडतीस लाख तिरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उक्त निर्माण कार्य हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो आगणन के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) प्रायोजना में निम्न प्राविधान किये गये है:-

- लाल बारादरी ललित कला अकादमी के सुदृढीकरण हेतु सिविल कार्यो का प्राविधान।
- भूतल,प्रथम तल तथा छत पर विभिन्न कार्यो के सुदृढीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु डिस्मेन्टलिंग के कार्य।
- प्रथम तल पर फाल्स सीलिंग के कार्य का प्राविधान।
- भूतल,प्रथम तल तथा द्वितीय (मैजनाइन) में पार्टीशन ,पैनलिंग तथा फर्नीचर का प्राविधान।
- सीढी में स्टील रेलिंग तथा लकडी के फर्श के कार्य का प्राविधान।
- प्रथम तल पर स्काई लाइट में एस0एस0 तथा टफेन ग्लास के कार्य का प्राविधान।
- भवन के कन्जर्वेशन , रेस्टोरेशन एवं आर्ट वर्क के कार्यो का प्राविधान।
- एच0वी0ए0सी0,सी0सी0टी0वी0 जनरेटर, सोलर सिस्टम के कार्यो का प्राविधान।
- भवन की आन्तरिक लाइटिंग तथा भवन के सौन्दर्यीकरण हेतु अनिवार्य विशिष्ट आन्तरिक एवं वाह्य लाइटिंग के कार्यो का प्राविधान।
- जल आपूर्ति , सीवर एवं अग्नि शमन के कार्यो का प्राविधान।
- गार्ड रूम में टायलेट के कार्यो एवं अन्य कार्यो का प्राविधान।

(7) प्रायोजना में Granite stone flooring, False Ceiling, Ceramic hand made clay floor tiles, Lime surkhi plaster, Special lime punning, Sky light, Murals, Frescos, vertical Green wall, Decorative poles, L.E.D. Burial, Stone work का प्राविधान किया गया है, जोकि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, के प्रयोग पर नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ही निर्माण कार्य कराया जाय तथा प्रायोजना प्रस्ताव लाल बारादरी भवन के एतिहासिक एवं पुरातात्विक मूल स्वरूप को बनाये रखने हेतु विशिष्टि प्रकृति के कार्य प्रस्तावित किये गये है, जिनका लागत डी0एस0आर0/बाजार दरों पर प्रस्तावित की गयी है। अत: लाल बारादरी भवन के मूल स्वरूप को बनाये रखने हेतु विशिष्ट प्रकृति के कार्य के दृष्टिगत यह परियोजना विशिष्टि श्रेणी में आती है।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव में 100 किलो वाट सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रस्तावित किया गया है। अत: सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना किस एजेन्सी द्वारा की जायेगी तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

इसके मेन्टीनेन्स के सम्बन्ध में पावर प्लान्ट लगाये जाने से पूर्व स्थिति स्पष्ट करा लेने के पश्चात ही इसका कार्य कराया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत फर्नीचर व फर्नीशिंग ,डाटा नेटवर्किंग, आर्ट वर्क, गैस बेस सिस्टम, सी0सीटी0वी0 सिस्टम, लैम्प पोस्ट एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, डी0जी0सेट , स्टैन्ड टाइप ए0सी0 एल0ई0डी0 ब्यूरल, पोल्स लिफ्ट, फायर फाइटिंग इक्यूपमेंट का प्राविधान किया गया है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक, संस्कृति से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(10) प्रशासकीय विभाग द्वारा लाल बारादरी भवन के मेन्टीनेन्स एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय कराया जाना अपेक्षित है तथा प्रश्नगत प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य संरक्षण एवं रेनोवेशन से सम्बन्धित है। अत: निदेशक, पुरातत्व की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया जाय तथा जिनकी देख-रेख में कार्य कराया जाय, ताकि प्रश्नगत कार्य पुरातत्वीय मानकों की सीमान्तर्गत सम्पन्न हो सकें एवं स्मारक का मूल स्वरूप किसी भी दशा में प्रभावित न हो।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव में बसबार,ए0एच0यू0 रूम, गार्ड रूम के आगणन का गठन वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त सिविल कार्य, लैण्ड स्केपिंग के आगणन का गठन डी0एस0आर0 वर्ष 2014/लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2015 की अनुसूची दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित अन्य कार्यमदें बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग का स्पष्ट मत है कि निदेशक,संस्कृति एवं कार्यदायी संस्था द्वारा बाजार /कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाय एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा।

(13) प्रभाग का प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि , सक्षम सतर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्कृति निदेशालय की होगी।

(16) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(17) आगणन में वर्णित लेबर शेष की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92-के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-101-ललित कला शिक्षा- 06-उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-891 /दस-2016, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(डा0 हरिओम)
सचिव।

संख्या - 160 / 2016 / 354 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-4/2/12/2016सी0एक्स (1) दिनांक 08 सितम्बर, 2016 के क्रम में।
3- निदेशक, ग्लोबल सेल, आवास विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ ।
4 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6.- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/